

::1::

* प्ररूप 1

{ नियम 33(3) देखिए }

वर्जीनियों तम्बाकू उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

- 1 आवेदक का नाम। :
- 2 क्या आवेदक, व्यठिट भागीदारी फर्म या प्राईवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी सोसाईटी है। :
- 3 यदि आवेदक व्यक्ति है तो उसका नाम, उसके पिता का नाम और आवेदक का पता दें और यदि आवेदक भागीदारी फर्म या प्राईवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी सोसाईटी है तो ऐसी फर्म, कम्पनी या सोसाईटी के कामकाज के भारसाधक व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और पता साथ ही फर्म, कम्पनी या सोसाईटी का पता दें। :
- 4 उस ग्राम, तालुका, जिला और राज्य का नाम जहाँ वह भूमि स्थित है :

* भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दि.9.10.1998 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

::2::

- 5 सर्वेक्षण संख्या :
- 6 क्या भूमि आवेदक के स्वामित्व में है या वह पट्टे पर ली गई है :
- 7 वह वर्ष जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है :
- 8 वह क्षेत्र जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू उगाने का प्रस्ताव है :
- 9 जहाँ वर्जीनिया तम्बाकू से भिन्न कोई फसल ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उस क्षेत्र पर जिसमें आवेदन संबंधित है, उगाई गई है, वहाँ इस प्रकार उगाई गई फसल को विशिष्टियों और वह क्षेत्र जिस पर और वह वर्ष जिस के दौरान ऐसी फसल उगाई गई है :

वर्ष	श्रीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों में से प्रत्येक के दौरान उगाई गई फसल	हेक्टेअर उस क्षेत्र में से जिससे आवेदन उस क्षेत्र से संबंधित है जिस पर फसल उगाई गई थी
1	2	3
1.		
2.		
3.		

::3::

- 10 उस वर्ष के दौरान जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, आवेदक के पास उपलब्ध कुल : क्षेत्र के उपयोग के लिए फसलवार योजना और जहाँ ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों में तम्बाकू उगाने के लिए ऐसे क्षेत्र का उपयोग किया गया है, वहाँ ऐसे दो वर्षों के दौरान उपयोग किया गया ऐसा क्षेत्र और इस प्रकार उगाई गई तम्बाकू की किस्म के ब्यौरे।

फसल का नाम	पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान उपयोग		रजिस्ट्रीकरण के वर्षों के दौरान प्रस्तावित उपयोग
	पिछला वर्ष (19____) क्षेत्र	पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष (19____) क्षेत्र	वर्ष (19____) क्षेत्र
(i) वर्जीनिया तम्बाकू			
(ii) नटु तम्बाकू			
(iii) बर्ले तम्बाकू			
(iv) बीड़ी तम्बाकू			
(v) अन्य फसल (फसलें)			

::4::

11 उस क्षेत्र की, जिससे आवेदन संबंधित है, मृदा का वर्गीकरण, 000000 :

(i) भूमि 0000 आर्द्र या शुष्क

(ii) मृदा काली है या हल्की

क्षेत्र का विस्तार	भूमि आर्द्र है या शुष्क मृदा	काली है या हल्की
--------------------	------------------------------	------------------

12 क्या आवेदक स्वयं तम्बाकू का संसाधन करने का प्रस्ताव करता है, और यदि हाँ तो कोदार की संख्या और :
उनका (उनके) आकार दर्शित किया जाए (किए जाए।)

13 वह वर्ष जिसके दौरान आवेदक ने प्रथम बार तम्बाकू को खेती प्रारम्भ की। :

14 रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी गई फीस की रकम (विशिष्टिय दें) :

15 यदि आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए है तो उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या :
जिसका नवीकरण चाहा गया है।

16 क्या आवेदक अपने स्वयं के उपयोग के लिए तम्बाकू नर्सरी विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा है-यदि ऐसा :
है तो मृदा कुल क्षेत्र, बीजों की किस्म, चाहे अनुमोदित है या नहीं, के ब्यौरे दें:

::5::

अवस्थिति	मृदा की किस्म	क्रम संख्या	क्षेत्र	बीजों की किस्म	चाहे अनुमोदित है या नहीं
टिप्पण:- यदि आवेदक अपने स्वयं के उपयोग के लिए ही नर्सरी उगाने का प्रस्ताव करता है तो ऐसी नर्सरी का क्षेत्र उस क्षेत्र के जिसके लिए उसे उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण दिया गया है, 1/100 से अधिक नहीं होगा।					
मैं/हम तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4), तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ / देते हैं।					
मैं/हम सत्य निष्ठा से धोषणा करते हैं जोकि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से उपर कथित जानकारी ठीक और सही है।					

स्थान:

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)